

न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना – नागौर (राज०)

बईजलास – श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु० सं० 50/2016

दायर दिनांक 05.10.2016



V / S

अप्रार्थी  
रिजनल मैनेजर (रि०)

अन्तर्गत राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 26.02.2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डीडवाना ने दिनांक 05.10.2016 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी रिजनल मैनेजर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन जयपुर, शाखा नागौर बासनी रोड़ नागौर ने ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 2161 किस्म गै.मु.गौचर रकबा 19.01 बीघा में सें 19.01 बिघा भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी लगातार अनुपस्थित रहा।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 2161 किस्म गै.मु.गौचर रकबा 19.01 बीघा में सें 19.01 बिघा भूमि पर अप्रार्थी रिजनल मैनेजर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन जयपुर, शाखा नागौर बासनी रोड़ नागौर ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को ख०न० 2161 किस्म किस्म गै०मु०गौचर रकबा 19.01 बीघा में सें 19.01 बिघा भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते हैं। तथा भूमि के वार्षिक लगान दर 0.75 रू० के 50 गुणा से रूपये 38/- अक्षरे अड़तीस रूपये मात्र की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू०अ०निरीक्षक डीडवाना व पटवारी हल्का डीडवाना को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं त०रा०ले० कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्बन्धित पृथिविपत्रां रजिस्टर सं.लेखा  
सं. 04 के पृष्ठ 03  
दिनांक 12.03.18 को अतिक्रमी को 38/-

Shankar  
त.रा.ल.डीडवाना

(दयानन्द रूयल)

तहसीलदार, डीडवाना